भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 775

(24 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तमिलनाडु के लिए वीबी-जी राम-जी मजदूरी आवंटन में कमी

775. श्री प्रवीण चक्रवर्ती:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कई उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की तुलना में नवीन अधिसूचित वीबी-जी राम-जी अधिनियम, 2025 के तहत तमिलनाडु को लगभग 3 प्रतिशत की ही मजदूरी वृद्धि प्राप्त होने के क्या कारण हैं;

(ख) आज की तारीख तक तमिलनाडु को मनरेगा मजदूरी की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) क्या नई योजना के अंतर्गत राज्यों के मानक आवंटन का निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त 16वें वित्त आयोग-संबद्ध हस्तांतरण सूत्र में तमिलनाडु के ऐतिहासिक रूप से उच्च मनरेगा प्रदर्शन को ध्यान में रखा गया था?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 (विकसित भारत - रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025) की धारा 10 के अनुसार, भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी अकुशल श्रम हेतु मजदूरी दरें अधिसूचित की हैं। ये मजदूरी दरें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचित प्रचलित मजदूरी दरों को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित करके निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रयोजनों के लिए ₹300 को अंतरिम आधार मजदूरी दर के रूप में लिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अधिसूचित मजदूरी दर ₹300 प्रति दिन से कम न हो।

(ख): मनरेगा के अंतर्गत, मजदूरी भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष

के प्रारंभ में, पिछले वर्षों की स्वीकार्य लंबित देयताओं, यदि कोई हों, की भारत सरकार द्वारा यथोचित रूप से प्रतिपूर्ति की जाती हैं। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 तक की सभी देय और स्वीकार्य लंबित मजदूरी देयताओं का पहले ही निपटान किया जा चुका है।

दिनांक 19.07.2026 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य के संबंध में लंबित मजदूरी देयता ₹430.24 करोड़ है।

(ग): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 22 की उप-धारा (4) के अनुसार, केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर, राज्यवार मानक आवंटन का निर्धारण करेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि मानक आवंटन नियम अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं किए गए हैं और चालू वित्तीय वर्ष (01.07.2026 से 31.07.2027) के लिए तमिलनाडु राज्य हेतु ₹7,585.49 करोड़ का अंतरिम आवंटन किया गया है।

*****